छत्तीसगढ़ शासन
वित्त एवं योजना विभाग,
दाऊ कल्याण सिंह भवन
मंत्रालय-रायपुर

क्रमांक 97/107/वित्त/नियम/चार/2008, रायपुर, दिनांक 28 अप्रेल, 2008

प्रति,

शासन के समस्त विभाग
अध्यक्ष, राजस्व मंडल, बिलासपुर
समस्त विभागाध्यक्ष
समस्त संभागीय आयुक्त
समस्त जिलाध्यक्ष
छत्तीसगढ़ ।

विषयः- छत्तीसगढ़ राज्य की सिविल सेवा के सदस्यों को समयमान वेतन **[Time Scale Pay]** उपलब्ध कराने बाबत् ।

संदर्भः- सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ-1-1/1/वे.आ.प्र./99, दिनांक 17 मार्च, 1999/19.4.99 तथा समसंख्यक परिपत्र दिनांक 17.5.2000

------0------

राज्य की सिविल सेवा के सदस्यों को सेवा में आगे बढ़ने के निश्चित तथा समयबद्ध अवसर उपलब्ध कराये जाने की दृष्टि से वर्तमान में प्रभावशील क्रमोन्नति योजना को संशोधित करते हुए समयमान वेतन उपलब्ध कराने हेतु निम्नानुसार योजना प्रभावशील की जाती है :-

2. यह संशोधित योजना 1 अप्रैल, 2006 से प्रभावशील होगी तथा इसका लाभ उन सिविल सेवाओं के सदस्यों को उपलब्ध होगा जिनके लिये पृथक से कोई विशिष्ट योजना प्रभावशील नहीं है।

3. इस योजना के अंतर्गत सिविल सेवा के जिन संवर्गो में सीधी भर्ती होती है, उनमें ''अ'' तथा ''ब'' वर्ग के सिविल सेवाओं के सदस्यों को उच्चतर वेतनमान का लाभ सेवा में नियुक्ति के पश्चात 8 वर्ष की सेवा अवधि पूर्ण होने पर तथा ''स'' वर्ग की सिविल सेवा के सदस्यों को सेवा में नियुक्ति के पश्चात 10 वर्ष की सेवा अवधि पूर्ण होने पर उपलब्ध होगा । 'सीधी भर्ती के पदों/सेवा में नियुक्ति' से तात्पर्य विभागीय भर्ती नियम के अनुसार सीधी भर्ती हेतु निर्धारित संवर्ग में स्वीकृत पदों पर लोक सेवा आयोग के माध्यम से, विभागीय भर्ती नियम के अनुसार चयन/प्रतियोगी परीक्षा द्वारा, ऐसी सीमित विभागीय चयन परीक्षा द्वारा जिसमें सभी विभाग के कर्मचारी शामिल हो सकते हैं अथवा संवर्गीय पदोन्नति द्वारा नियुक्ति से है।

4. इस योजना के अंतर्गत निर्धारित शर्तो के अधीन उच्चतर वेतनमान की पात्रता उन शासकीय सेवकों को भी होगी जिन्हें प्रारंभिक नियुक्ति के पद से एक, दो अथवा दो से अधिक पदोन्नति का लाभ प्राप्त हो चुका है ।

5. इस योजनांतर्गत उच्चतर वेतनमान का लाभ प्राप्त करने के लिये शासकीय सेवक को उन अर्हताओं को पूर्ण करना होगा जो पदोन्नति के लिये निर्धारित हैं । यदि सेवा भर्ती नियमों के अंतर्गत जिस संवर्ग में पदोन्नति होती है उसका वेतनमान इस योजना के अंतर्गत स्वीकृत उच्चतर वेतनमान से भी उच्चतर है तो सीधी भर्ती वाले संवर्ग का श्रेणीकरण कनिष्ठ श्रेणी, वरिष्ठ श्रेणी, तथा प्रवर श्रेणी जैसा उपयुक्त हो, में किया जायेगा । यदि इस योजनांतर्गत देय उच्चतर वेतनमान पदोन्नत संवर्ग के वेतनमान से उच्चतर है, तो इस योजना के अंतर्गत प्राप्त होने वाला उच्चतर वेतनमान व्यक्तिगत रूप से प्राप्त करेगा और इसके लिये सेवा भर्ती नियमों में सीधी भर्ती वाले संवर्ग का पृथक से श्रेणीकरण की आवश्यकता नहीं होगी ।

6. ऐसे शासकीय सेवक, जिनके द्वारा इस संशोधित योजना के अंतर्गत देय उच्चतर वेतनमान के लिये निर्धारित आवश्यक सेवा अवधि पूरी की जा चुकी है उनको उक्त निर्धारित सेवा अवधि के पश्चात इस योजना के अंतर्गत उच्चतर वेतनमान, (जो भी लागू हो) का लाभ दिनांक 1.4.2006 से प्राप्त होगा । सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ 1-1/1/वेआप्र/99 दिनांक 17.3.99/19.4.99, एफ 1-1/1/वेआप्र दिनांक 17.5.2000 एवं एफ 10-3/2007/1-3, दिनांक 28.7.2007 के अनुसार लागू क्रमोन्नति वेतनमानों के अंतर्गत प्रदत्त लाभ के प्रकरणों को पुन: नहीं खोला जायेगा ।

7. इस योजना के अंतर्गत उच्चतर वेतनमान पर नियुक्ति की तिथि पर वेतन निर्धारण मूलभूत नियम 22(ए)[i] के अनुसार किया जाएगा तथा वेतनवृद्वि की तिथि पूर्ववत् ही रहेगी ।

8. सिविल सेवा के किसी सदस्य की पदोन्नति होने पर यदि वह पहले से इस योजना के अंतर्गत पदोन्नति पद के वेतनमान पर नियुक्त है, तो उसे पदोन्नति पश्चात वेतन निर्धारण हेतु अपने मूल पद के संदर्भ में मूलभूत नियम 22 डी के अंतर्गत अथवा उच्चतर वेतनमान में प्राप्त वेतन के संदर्भ में मूलभूत नियम 22(ए)[ii] के अंतर्गत, जो भी अधिक लाभदायक हो, का लाभ उपलब्ध होगा। यदि पदोन्नति के समय पहले से ही इस योजना के अंतर्गत उक्त पदोन्नति के पद के वेतनमान से उच्चतर वेतनमान में नियुक्त है, तो वह उच्चतर वेतनमान का धारण पदोन्नति पश्चात भी व्यक्तिगत रूप से करेगा ।

9. यदि इस योजना के अंतर्गत प्रथम उच्चतर वेतनमान में नियुक्त रहते हुये कोई शासकीय सेवक उसी वेतनमान में पदोन्नति का लाभ प्राप्त करता है तो उसके द्वितीय उच्चतर वेतनमान की पात्रता की गणना प्रथम उच्चतर वेतनमान प्राप्त होने की तिथि से की जावेगी ।

10. दिनांक 1.4.2006 को यदि उच्चतर वेतनमान की पात्रता के लिये निर्धारित सेवा अवधि अथवा उससे अधिक सेवा अवधि पूर्ण हो चुकी है तो प्रथम उच्चतर वेतनमान की पात्रता दिनांक 1.4.2006 से होगी । दिनांक 1.4.2006 को यदि द्वितीय उच्चतर वेतनमान के लिये निर्धारित सेवा अवधि पूर्ण कर ली गई है तो उसे सीधे द्वितीय उच्चतर वेतनमान की पात्रता होगी ।

11. यदि किसी शासकीय सेवक की दिनांक 1.4.2006 को प्रथम उच्चतर वेतनमान के लिये निर्धारित सेवा अवधि से अधिक सेवा अवधि है तो अधिक सेवा अवधि द्वितीय उच्चतर वेतनमान की पात्रता के लिये गणना में ली जायेगी । उदाहरणार्थ यदि प्रथम उच्चतर वेतनमान के लिये 8 वर्ष की सेवा अवधि निर्धारित है और दिनांक 1.4.2006 को उसकी कुल सेवा अवधि 12 वर्ष की पूर्ण हो चुकी है तो शेष 4 वर्ष की सेवा अवधि द्वितीय उच्चतर

वेतनमान हेतु गणना में ली जायेगी अर्थात जिस भी दिनांक को उसकी सेवा अवधि 16 वर्ष हो जाती है उस दिनांक से उसे द्वितीय उच्चतर वेतनमान की पात्रता होगी ।

12. सामान्य प्रशासन विभाग के आदेश क्रमांक एफ 10-2/07/1-3, दिनांक 11 फरवरी 2008 के क्रियान्वयन में जिन सिविल सेवाओं के लिये वेतनमानों का उन्नयन किया गया है उनके सदस्यों को इस संशोधित वेतनमान में काल्पनिक नियुक्ति पूर्व तिथि से मानते हुये, इस योजना का लाभ दिनांक 1.4.2006 से दिया जायेगा, उनके मामलों में इस योजना के अंतर्गत प्राप्त होने वाले वेतनमान में शासकीय सेवक का वेतन निर्धारण मूलभूत नियमों के सामान्य नियमों के अंतर्गत किया जायेगा । ऐसे मामलों में वेतन निर्धारण मूलभूत नियम 22 ए [i] के अंतर्गत नही होगा ।

13. यदि किसी शासकीय सेवक को सामान्य प्रशासन विभाग के संदर्भित पत्र में अंकित परिपत्रों के द्वारा क्रमोन्नति योजना के अंतर्गत प्रथम अथवा द्वितीय क्रमोन्नति का लाभ मिल चुका है तो ऐसे मामलों में इस परिपत्र के अंतर्गत प्रथम अथवा द्वितीय उच्चतर वेतनमान की पात्रता की उपयुक्तता के लिये गोपनीय प्रतिवेदनों के पुनः परीक्षण की आवश्यकता नहीं होगी। ऐसे मामलों में कार्यालय प्रमुख उच्चतर वेतनमानों का लाभ देने हेतु सक्षम होगें ।

14. इस योजना के अंतर्गत उच्चतर वेतनमान का लाभ लेने के पश्चात यदि कोई कर्मचारी बाद में नियमित पदोन्नति स्वीकार करने से इंकार करता है तो उसे पूर्व से स्वीकृत उच्चतर वेतनमान का लाभ वापिस नहीं लिया जायेगा, परन्तु बाद में उसे किसी अन्य उच्चतर वेतनमान की पात्रता नहीं होगी ।

15. विभिन्न वेतनमानों के लिये उच्चतर वेतनमान की पात्रता परिशिष्ट-1 के अनुसार होगी। विभिन्न विभागों के विशिष्ट संवर्गो के लिए उच्चतर वेतनमान का प्रावधान इस परिपत्र के प्रपत्र-2 के अनुसार किया जाएगा । जिन विशिष्ट संवर्गो का परिशिष्ट-2 में उल्लेख नहीं है उनके संबंध में, प्रचलित क्रमोन्नति योजना में संशोधन हेतु विभागीय प्रस्ताव अनुसार अलग से निर्णय लिया जायेगा । सभी विभागों से अनुरोध है कि वे परिशिष्ट-2 में दर्शाये गये उनके विभाग से संबंधित पदों की जांच कर यह सुनिश्चित कर लें कि ये पद सीधी भर्ती के हैं एवं वेतनमान सही है । किसी भी प्रकार की त्रुटि पाये जाने पर समुचित संशोधन हेतु वित्त विभाग को तत्काल अवगत कराया जाए ।

16. इस परिपत्र के प्रावधानों के अनुसार आवश्यक कार्यवाही कर उच्चतर वेतनमानों में वेतन नियतन कर शासकीय कर्मचारी को भुगतान किया जावे । उच्चतर वेतनमानों मे वेतन नियतन पश्चात शासकीय कर्मचारी के वेतन नियतन की जांच कार्यालय प्रमुख द्वारा संबंधित संभागीय संयुक्त संचालक, कोष,लेखा एवं पेंशन से करा ली जाये । सभी विभागों में पदस्थ छत्तीसगढ़ राज्य वित्त सेवा के उप संचालक एवं इससे वरिष्ठ स्तर के अधिकारी भी इन प्रकरणों की जांच हेतु अधिकृत होंगे ।

17. इस परिपत्र में उल्लेखित व्यवस्था प्रत्येक विभाग के सभी संबंधित भर्ती नियमों में इस परिपत्र के जारी होने के दिनांक से समाहित माने जायेंगे । किन्तु विभागों को संबंधित भर्ती नियमों में इस योजना के अनुरूप आवश्यक संशोधन दिनांक 31.10.2008 तक सुनिश्चित करना होगा ।

18. सामान्य प्रशासन विभाग के आदेश क्रमांक एफ-1-1/1/वेआप्र/99, दिनांक 19 अप्रैल 99 एवं समसंख्यक आदेश दिनांक 17.5.2000 में दर्शित प्रावधानों को इस परिपत्र की सीमा तक संशोधित माना जाए ।

इस संबंध में सामान्य प्रशासन विभाग की सहमति प्राप्त कर ली गई है ।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

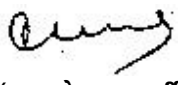

(एस.के.चक्रवर्ती)
उप सचिव
छत्तीसगढ़ शासन, वित्त विभाग